

2 In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, in rule 44, after the existing provisos, the following proviso shall be inserted, namely.—

"Provided also that clause (e) shall remain inoperative in respect of the mixture of groundnut oil with palmolein to be packed and sold by the Ministry of Civil Supplies, Government of India, or their authorised agents, for a period of three months from the date of commencement of the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Rules, 1977."

[No. P.15016/3/77-PH(F&N)]

N N. VOHRA, Jt Secy

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1977

सा० का० नि० 624(अ).—केन्द्रीय सरकार खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए, कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप उन परिस्थितियों में बनाना चाहती है जिनमें वह केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श किए बिना इन नियमों का बनाना आवश्यक समझती है। जैसा कि उक्त धारा की उपधारा (1) में अपेक्षित है, उक्त प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन के दस दिन के पश्चात् विचार किया जाएगा। इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

नियमों का प्रारूप

केन्द्रीय सरकार खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन), नियम, 1977 है।
2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के नियम 44 में विद्यमान परन्तुको के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह भी कि खण्ड (ङ) नागरिक पूर्ति मन्त्रालय, भारत सरकार, अथवा उसके प्राधिकृत अभिकर्तियों द्वारा पैक किए और बेचे जाने वाले उस मिश्रण की बाबत, जो पालमोलीन तेल को मूंगफली के तेल से मिलाकर बनता है, खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 1977 के प्रारम्भ की तारीख से तीन मास की अवधि तक के लिए, अप्रवर्तनीय बना रहेगा।"

[सं० पी० 15016, 3, 77-पी०एच० (एफ० एण्ड एन०)]

एन० एन० वोहरा, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 310] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 1977/अश्विन 8, 1899

No. 310] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 1977/ASVINA 8, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES & COOPERATION

ORDER

New Delhi, the 30th September 1977

G.S.R. 625(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 4 and sub-clause (1) of clause 4 B of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, the Vegetable Oil Products Controller for India hereby directs that this Ministry's Order No. G.S.R 483(E), dated the 11th July, 1977, shall remain in force upto and inclusive of the 31st October, 1977

[No. 9-VP(1)/76-Vol. II]

T. BALAKRISHNAN,

Vegetable Oil Products Controller for India.

(1921)

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1977

सा० का० नि० 625(अ).—वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 के खण्ड 4 के उपखण्ड (1) तथा खण्ड 4ख के उप खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के वनस्पति तेल उत्पादन नियंत्रक एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि इस मंत्रालय का 11 जुलाई, 1977 का आदेश संख्या सा०का०नि० 483(अ) 31 अक्तूबर, 1977 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगा।

[सं० 9-बी० पी०(1)/76-बाल्यूम-II]

टी० बालकृष्णन,

भारत का वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित सभा निर्यत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977